भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4791
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सवाई माधोपुर में जन औषधि केंद्र

4791. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में स्वीकृत, स्थापित और वर्तमान में कार्यशील जन औषधि केन्द्रों (जेएके) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष-वार दवाओं की कुल आपूर्ति की मात्रा, मांग के अनुपात में आपूर्ति का ब्यौरा तथा जन औषधि केंद्रों में दवाओं की कमी के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने, उनकी दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा टोंक और सवाई माधोपुर जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल/ग्रामीण जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए कोई विशेष कार्य-योजना लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

<u>रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क): राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के टोंक जिले में कुल 11 जन औषधि केंद्र (जेएके) और सवाई माधोपुर जिले में 13 जेएके कार्यरत हैं। इन केंद्रों को भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) से प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त करने और राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्थापित और कार्यात्मक किया गया है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में कार्य कर रहे जन औषधि केंद्रों की एमआरपी पर वर्ष-वार बिक्री (₹ करोड़ में) निम्नानुसार है: -

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टोंक	सवाई माधोपुर
1.	2023-24	0.07	0.47
2.	2024-25	0.20	0.66

3.	2025-26 (28.02.2026 तक)	0.18	0.62

(ग) और (घ): किसी भी आपूर्ति अंतराल को दूर करने और जेएके पर सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली दवाओं और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 दवाओं सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन दवाओं के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय मालगोदाम, चार क्षेत्रीय मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 41 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को स्वचालन के माध्यम से सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश भर में वहनीय दवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मार्च 2027 के अंत तक देश भर में खोले गए जेएके की कुल संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
